भारत सरकार

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या: 263

21 जुलाई, 2026 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

राष्ट्रीय आवश्यक औषधियों की सूची का संशोधन

263. श्री एस. निरंजन रेड्डी:

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने इस बात पर ध्यान दिया है कि राष्ट्रीय आवश्यक औषधियों की सूची (एनएलईएम) में 2022 के बाद से कोई संशोधन नहीं किया गया है, जबकि इसी दौरान विश्व स्वास्थ्य संगठन की राष्ट्रीय आवश्यक औषधियों की सूची को दो बार अद्यतन किया गया है;

(ख) क्या सरकार का एनएलईएम को संशोधित करने का प्रस्ताव है ताकि इसमें विशेष रूप से कैंसर, सहायक देखभाल और दुर्लभ बीमारियों की नई आवश्यक दवाओं को शामिल किया जा सके; और

(ग) एनएलईएम के अगले संशोधन के लिए क्या समय-सीमा तय की गई है और इसके समय-समय पर अद्यतन को सुनिश्चित करने के लिए क्या तंत्र अपनाया गया है?

उत्तर

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्रीमती अनुप्रिया पटेल)

(क) से (ग): एनएलईएम को देश के रोग भार, जन स्वास्थ्य प्राथमिकताओं, सुरक्षा, प्रभावकारिता, लागत-प्रभावशीलता, सामान्य जनता के स्वास्थ्य एवं स्वच्छता में चिकित्सीय उत्पादों के उपयोग संबंधी समकालीन ज्ञान, विभिन्न औषधि-दस्तावेजों तथा स्थापित विशेषज्ञ परामर्श तंत्र के माध्यम से डब्ल्यूएचओ मॉडल सूची सहित औषधियों की उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए तैयार और संशोधित किया जाता है।

एनएलईएम का संशोधन, जिसमें दवाओं को शामिल करना, हटाना या परिवर्तन शामिल है, समय -समय पर सरकार द्वारा नियुक्त विशेषज्ञ समिति, स्थायी राष्ट्रीय औषधि संबंधी समिति (एसएनसीएम) की सिफारिशों के आधार पर किया जाता है। ऐसे संशोधन के दौरान, सभी चिकित्सीय श्रेणियों की दवाओं संबंधी निर्धारित मानदंडों, उपलब्ध वैज्ञानिक साक्ष्यों, रोग भार, चिकित्सीय प्रगति, सुरक्षा, प्रभावकारिता, लागत-प्रभावशीलता और जन स्वास्थ्य प्रासंगिकता के आधार पर विशेषज्ञ परामर्श के माध्यम से विचार किया जाता है।

******